

राजिव,  
प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ATTACHURE 1 & 2

सेवा में,

आयुक्त/राजिव  
आदर्श एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट,  
ग्राम-मसुरियापुर, पोस्ट-नैनीजोर, तहसील-समझी,  
आजमगढ़।  
संस्था का नाम-आदर्श कॉलेज ऑफ फार्मसी,  
ग्राम-ओदरा, सलेमपुर, पोस्ट-नैनीजोर, आजमगढ़।

लखनऊ दिनांक- 05-09-2022

पत्रांक-प्राशिप/परिषद/2022/0539

विषय- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) के पत्रांक 14-56/2022-PCI(B)(Moratorium)/13220-22, 14-56/2022(Approval Process for 2022-2023 as) (New Instt) Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 30 अगस्त 2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

रूप्य है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को "उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम-1962 (यथासंशोधित) 1974" की धारा-12(1) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पी0सी0आई0, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0), नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14-56/2022-PCI(B)(Moratorium)/13220-22, 14-56/2022(Approval Process for 2022-2023 as) (New Instt) Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 30 अगस्त 2022 एवं इस संबंध में निर्गत पी0सी0आई0 के पूर्व पत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संरक्षित को आचार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 की काउन्सिल प्रक्रिया समाप्त होने से पूर्व परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की दृष्टि हेतु प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति/अनापत्ति पत्र प्रतीकाल्पक है, और उपरोक्तानुसार वर्धित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही पी0सी0आई0 एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर कराया जाएगा। पी0सी0आई0/परिषद के मानकों के क्रम में दिये गये अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।


भवदीय,  
  
(एफ0 आर0 खान)  
राजिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद/2022/0540-41


तददिनांक- 05-09-2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, एन0वी0सी0सी0, सेण्टर तृतीय तल, प्लॉट नं0 2, कम्युनिटी सेण्टर, मा आनन्दमई, मार्ग, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020

  
Adarsh College of Pharmacy  
Odra Salempur, Nainijor-Azamgarh

Manager  
Adarsh Educational And Welfare Trust  
Masuriyapur, Nainijor-Azamgarh  
राजिव

  
Manager  
Adarsh College of Pharmacy  
Odra Salempur, Nainijor-Azamgarh